

आग्निशमन सेवा मुख्यालय, द्वारखण्ड, रॉची।

दिनांक-25.04.2022

सेवा में,

**श्री अजय कुमार द्वेरा
रिय पहाड़, दुमका।**

विषय:- वेस्टन इंडिया स्कूल, रानीश्वर, दुमका का अनापति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित विद्यालय भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जीवन प्रभारी अग्निशमनालय पदाधिकारी, दुमका से कराई गई। उनके ज्ञापांक-67 दिनांक-25.03.2022 के द्वारा समर्पित जीवन प्रतिवेदन एवं उनीं गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापति प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है कि -

1. Set Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह भूक्त रखा जायेगा।
2. भवन तक जानेवाली पहुंच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवश्या के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वारा में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. भवन में काम करने वाले सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जौच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस द्वीप में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञित रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. जाकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. यह अनापति प्रमाण-पत्र का नवीकरण दिनांक-31.03.2023 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: CN=JAGJEEWAN RAM, OU=HOME, O=GANGA, L=NEW DELHI, ST=DELHI, C=IN
Date: 2022.04.25 11:12:52 +05'30'
Signature ID: 15883C7A90E7D91F8E9B09097A760000
SHA256: 00

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।